प्रतिवेदन

कार्य का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में क्वीसू–सुमाड़ी मोटर मार्ग से [illegible] होते हुये अमधार तक मोटर मार्ग का निर्माण।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में क्वीसू–सुमाड़ी मोटर मार्ग से [illegible] होते हुये अमधार तक मोटर मार्ग निर्माण के कार्य हेतु पत्र सं0 1516/III(2)/11–24 ([illegible])/2011 दि0 [illegible] द्वारा लम्बाई 4.00 किमी0 हेतु रू0 50.40 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। मार्ग के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रभावित होने वाले वृक्षों के पातन एवं सिविल भूमि का लो0नि0वि0 के नाम हस्तान्तरण किया जाना आवश्यक है। उक्त मार्ग का निर्माण जनहित में किया जाना अतिआवश्यक है, जिस हेतु 0.664 हे0 सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण हेतु यह प्रस्ताव गठित किया गया है।

अतः 0.664 हे0 सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर पांच प्रतियां में हस्तान्तरण हेतु प्रेषित किये जा रहे है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
श्रीनगर गढ़वाल